



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 24 अप्रैल, 2024 / 04 वैशाख, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 02 मार्च, 2024

संख्या: टी०सी०पी०—एफ०५/२०२३।—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा (1) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, 2024 के मार्च माह के 02 दिवस को ऐसा दिन नियत करते हैं, जिसको पूर्वोक्त अधिनियम के उपबंध अधिसूचना संख्या टीसीपी-एफ(5)-4/2000, तारीख 30-11-2000 द्वारा पहले से ही अधिसूचित “कुफरी विशेष क्षेत्र” में सम्मिलित राजस्व महालों के निम्नलिखित भाग में लागू होंगे:—

विनिर्देश

क्र0 सं0	राजस्व गांवों के नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (जनगणना, 2011 के अनुसार)	टिप्पणियां
1.	जंगले अब्बल राजिंदर राख (I)	395		23	कुफरी-चायल मार्ग के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर
2.	जंगले अब्बल राजिंदर राख (II)	395		—	—यथोपरि—
3.	जटोल	404		345	—यथोपरि—
4.	कुफर	368		59	—यथोपरि—
5.	जंगले अब्बल मनून	413		155	—यथोपरि—
6.	जंगले फनेवत	190		—	—यथोपरि—
7.	कोटि	189		520	—यथोपरि—
8.	जंगले भलावाग	160		140	—यथोपरि—
9.	धार कुफर	159		48	—यथोपरि—
10.	कोग	289		235	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
11.	भरेच	280		191	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
12.	शुराला	371		311	सम्पूर्ण गाँव
		कुल	495	2327	
	<p>नोट :—कुफरी से चायल मार्ग के दोनों किनारों पर शिमला और सोलन जिले की प्रशासनिक सीमा तक नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना विभाग का नियंत्रण होगा। मार्ग के दोनों ओर जो राजस्व गांव आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जंगले अब्बल राजिंदर राख (I), जंगले अब्बल राजिंदर राख (II), जटोल, कुफर, जंगले अब्बल मनून, जंगले फनेवत, कोटि, जंगले भलावाग और धार कुफर।</p>				

उपरोक्त राजस्व गांवों में, उक्त अधिनियम के उपबंधों के लागू होने के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध ‘कुफरी विशेष क्षेत्र’ की पुनः परिनिश्चित सीमाओं पर लागू होंगे और कुल राजस्व गांव जिन पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध लागू हैं, अब इस प्रकार होंगे:—

विनिर्देश

क्र0 सं0	राजस्व गांव के नाम	हृदबस्त संख्या	टिप्पणियां
1.	लंबी धार	349	(संपूर्ण)
2.	जंगल मशोबरा	247	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
3.	कोलू का जुब्बर	309	(भागत: जैसा कि खसरा नंबर 2, 21, 85, 79, 80, 95, 96, 106 द्वारा द्विभाजित किया गया है, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
4.	झाल्टी	307	(संपूर्ण)
5.	चनावत	308	(भागत: खसरा नंबर 64, 65, 66, 67, 68 द्वारा द्विभाजित, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
6.	बोंटलू	306	(संपूर्ण)
7.	धागोग	305	(भागत: खसरा संख्या 1, 3, 4, 22, 151,158, 162, 215,219, 220, 221,119, 117, 116,112 द्वारा द्विभाजित, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
8.	जंगल धागोग	304	(संपूर्ण)
9.	जोटलू	303	(भागत: खसरा संख्या 1, 8, 128, 129,137, 138, 155,156, 186, 187, 188, 195, 196 द्वारा द्विभाजित जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
10.	भाटला	302	(भागत: जैसा कि खसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 80, 81, 72, 73, 66, 152 द्वारा द्विभाजित किया गया है, जिसमें ग्राम संधोरा शामिल है)।
11.	संधोरा	296	(संपूर्ण)
12.	कैलीधर	297	(संपूर्ण)
13.	जंगल बरोग शील	298	(संपूर्ण)
14.	बलदयान	283	(संपूर्ण)
15.	शाहिसर	291	(भागत: खसरा संख्या 582, 486, 329,333, 334, 345, 346, 347, 348, 354, 355, 366, 367, 364 द्वारा द्विभाजित जिसमें शिमला—सुन्नी रोड शामिल है)।
16.	मशोबरा	246	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
17.	रिट्रीट	243	(संपूर्ण)
18.	चराबरा	241	(संपूर्ण)
19.	जंगल चराबरा	240	(संपूर्ण)
20.	कुफरी जंगा	228	(संपूर्ण)
21.	कुफरी कोटी	229	(संपूर्ण)
22.	जलग्रहण क्षेत्र	242	(संपूर्ण)
23.	बदाह	350	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
24.	चकरयाल	352	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
25.	चम्याणा	372	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
26.	शानन	375	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
27.	मल्याणा	378	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
28.	मेवाग	353	(संपूर्ण)
29.	गनोटी	377	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
30.	जंगल गनोटी	380	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
31.	कमाली	379	(संपूर्ण)

32.	शकराल	381	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
33.	मेहली	113	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
34.	कसुफर	292	(सम्पूर्ण गांव)
35.	शैनल	290	(खसरा नंबर 809, 810, 803, 802, 798, 796, 795, 794, 783, 781, 779, 181, 180, 178 (शामिल) द्वारा शिमला—मंडी रोड और जंगल नालदेहरा की ओर द्विभाजित क्षेत्र सहित)।
36.	नालदेहरा	279	(सम्पूर्ण गांव)
37.	जंगले बलदयान	278	(खसरा संख्या 13 (न्यूनतम) द्वारा द्विभाजित क्षेत्र सहित, शिमला—मंडी रोड की ओर, खसरा संख्या 37, 38 (शामिल) द्वारा द्विभाजित शैसर की ओर, खसरा संख्या 48, 49 द्वारा द्विभाजित (शामिल) कसुफर की ओर और खसरा नंबर 59, 55, 56, 57, 72, 73, 74 बलदयान की ओर द्विभाजित)।
38.	नेरि	281	(शिमला मंडी रोड की ओर खसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 12 (शामिल) द्वारा द्विभाजित क्षेत्र सहित)।
39.	दुर्गापुर	134	(शिमला—मंडी की ओर खसरा संख्या 108, 107, 106, 114, 104, 103, 101, 90, 89, 86, 85, 84, 65, 30, 29, 27, 26, 20 से सीमाबद्ध क्षेत्र सम्मिलित) दुर्गापुर की ओर खसरा संख्या 24, 23, 136, 142, 216 / 145, 217 / 145, 146 (सम्मिलित) द्वारा द्विभाजित सड़क, खसरा संख्या 154, 155, 221 / 157, 164, 174, 175, 176 द्वारा द्विभाजित, 177 (शामिल) शिमला मंडी मार्ग की ओर और खसरा नंबर 209, 211, 213, 214, 215, 196, 136 (सम्मिलित) शिमला मंडी मार्ग द्वारा सीमाबद्ध है।
40.	जंगले अव्वल राजिंदर राख (प)	395	भागत: (मोजूदा) कुफरी—चायल मार्ग के दोनों में से एक ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
41.	जंगले अव्वल राजिंदर राख (प्प)	395	—यथोपरि—
42.	जटोल	404	—यथोपरि—
43.	कुफर	368	—यथोपरि—
44.	जंगले अव्वल मनून	413	—यथोपरि—
45.	जंगले फनेवत	190	—यथोपरि—
46.	कोटि	189	—यथोपरि—
47.	जंगले भलावाग	160	—यथोपरि—
48.	धार कुफर	159	—यथोपरि—
49.	कोग	289	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
50.	भरेच	280	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
51.	शुराला	371	(सम्पूर्ण गांव)

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, Dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section (1) of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to appoint **2nd day of March month of 2024** as the day on which the provisions of the aforesaid Act shall come into force in the following part of Revenue Villages included in the "Kufri Special Area" notified *vide* Government Notification No. TCP-F(5) 4/2000 dated 30-11-2000 namely:—

SPECIFICATION

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population as per census 2011	Remarks
1.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (I)	395		23	100 metres from the edge of control width on either sides of the Kufri-Chail road.
2.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (II)	395		-	-do-
3.	Jatol	404		345	-do-
4.	Kufar	368		59	-do-
5.	Jangle Awwal Manoon	413		155	-do-
6.	Jangle Fanewat	190		-	-do-
7.	Koti	189		520	-do-
8.	Jangle Bhalawag	160		140	-do-
9.	Dhar Kufar	159		48	-do-
10.	Kog	289		235	100 metres from the edge of control width on the valley side of the existing Shimla-Sunni road.
11.	Bharech	280		191	100 metres from the edge of control width on the valley side of the existing Shimla-Sunni

					road.
12.	Shurala	371		311	Whole Village
		Total	495	2327	
Note. —There will be 100 meters control of HPTCP from the edge of control width on both sides of Kufri to Chail road upto administrative boundary of Shimla and Solan District. The Revenue Villages that come on both sides of the road their names are as follows: Jangle Awwal Rajinder Rakh (I), Jangle Awwal Rajinder Rakh (II), Jatol, Kufar, Jangle Awwal Manoon, Jangle Fanewat, Koti, Jangle Bhalawag, and Dhar Kufar.					

Consequent upon the enforcement of the provisions of the Act *ibid* in above Revenue Villages, the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), shall apply to the re-defined limits of Kufri Special Area and total Revenue Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

SPECIFICATION

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Remarks
1.	Lambi Dhar	349	(Whole)
2.	Jungle Mashobra	247	(Partly, as already bifurcated in M.C. Shimla)
3.	Kolu Ka Jubbar	309	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 2, 21, 85, 79, 80, 95, 96, 106 inclusive towards Shimla-Suni Road).
4.	Jhalty	307	(Whole)
5.	Chanavat	308	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 64, 65, 66, 67, 68 inclusive towards Shimla-Suni Road).
6.	Bontlu	306	(Whole)
7.	Dhagog	305	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 3, 4, 22, 151, 158, 162, 215, 219, 220, 221, 119, 117, 116, 112 inclusive towards Shimla-Suni Road).
8.	Jungle Dhagog	304	(Whole)
9.	Jotlu	303	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 8, 128, 129, 137, 138, 155, 156, 186, 187, 188, 195, 196 inclusive towards Shimla-Suni Road).
10.	Bhatla	302	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 80, 81, 72, 73, 66, 152 inclusive towards village Sandhara).
11.	Sandhara	296	(Whole)
12.	Kailidhar	297	(Whole)
13.	Jungle Barog Sheel	298	(Whole)
14.	Balldehan	283	(Whole)
15.	Shaiser	291	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 582, 486, 329, 333, 334, 345, 346, 347, 348, 354, 355, 366, 367, 364 inclusive towards Shimla-Suni Road).
16.	Mashobra	246	Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
17.	Retreat	243	(Whole)
18.	Chharabra	241	(Whole)
19.	Jungle Chharabra	240	(Whole)
20.	Kufri Junga	228	(Whole)

21.	Kufri Koti	229	(Whole)
22.	Catchment Area	242	(Whole)
23.	Badah	350	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
24.	Chhakryal	352	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
25.	Chamyana	372	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
26.	Shanan	375	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
27.	Malyana	378	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
28.	Mewag	353	(Whole)
29.	Ganoti	377	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
30.	Jungle Ganoti	380	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
31.	Kamali	379	(Whole)
32.	Shakral	381	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
33.	Mehli	113	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
34.	Kasufar	292	(Whole village)
35.	Shainal	290	(Including area bifurcated by Khasra No. 809, 810, 803, 802, 798, 796, 795, 794, 783, 781, 779, 181, 180, 178 (included) towards Shimla-Mandi Road and Jangle Naldehra).
36.	Naldehra	279	(Whole village)
37.	Jangle Baldayan	278	(Including area bifurcated by Khasra No. 13(Min)(included), towards Shimla-Mandi Road, bifurcated by Khasra No. 37, 38 (included) towards Shaiser, bifurcated by Khasra No. 48, 49 (included) towards Kasufar and bifurcated by Khasra No. 59, 55, 56, 57, 72, 73, 74 towards Baldayan).
38.	Neri	281	(Including area bifurcated by Khasra No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 and 12 (included) towards Shimla Mandi Road).
39.	Durgapur	134	(Including area bounded by Khasra No. 108, 107, 106, 114, 104, 103, 101, 90, 89, 86, 85, 84, 65, 30, 29, 27, 26, 20 (included) towards Shimla-Mandi Road bifurcated by Khasra No. 24, 23, 136, 142, 216/145, 217/145, 146 (included) towards Durgapur, bifurcated by Khasra No. 154, 155, 221/157, 164, 174, 175, 176, 177 (included) towards Shimla Mandi Road and bounded by Khasra No. 209, 211, 213, 214, 215, 196, 136(included) Shimla Mandi Road).
40.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (I)	395	(Partly) 100 metres from the edge of control width on the either side of the existing Kufri-Chail road.
41.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (II)	395	-do-
42.	Jatol	404	-do-
43.	Kufar	368	-do-
44.	Jangle Awwal Manoon	413	-do-
45.	Jangle Fanewat	190	-do-
46.	Koti	189	-do-
47.	Jangle Bhalawag	160	-do-
48.	Dhar Kufar	159	-do-
49.	Kog	289	100 metres from the edge of control width on valley sides of the existing Shimla-Sunni road.

50.	Bharech	280	100 metres from the edge of control width on valley sides of the existing Shimla-Sunni road.
51.	Shurala	371	Whole Village

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 02 मार्च, 2024

संख्या: टी०सी०पी०—एफ०५ / ५ / २०२३।—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 66 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासकीय अधिसूचना संख्या टी०सी०पी०—एफ०५—४ / २०००, तारीख 30—11—2000 द्वारा पहले से ही अधिसूचित निम्नलिखित राजस्व महाल को “कुफरी विशेष क्षेत्र” में शामिल करते हैं, अर्थात् :—

विनिर्देश

क्र० सं०	राजस्व गांवों के नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	जनसंख्या (जनगणना, 2011 के अनुसार)	टिप्पणियां
1.	जंगले अब्बल राजिंदर राख (I)	395		23	कुफरी—चायल मार्ग के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर
2.	जंगले अब्बल राजिंदर राख (II)	395		—	—यथोपरि—
3.	जटोल	404		345	—यथोपरि—
4.	कुफर	368		59	—यथोपरि—
5.	जंगले अब्बल मनून	413		155	—यथोपरि—
6.	जंगले फनेवत	190		—	—यथोपरि—
7.	कोटि	189		520	—यथोपरि—
8.	जंगले भलावाग	160		140	—यथोपरि—
9.	धार कुफर	159		48	—यथोपरि—
10.	कोग	289		235	मौजूदा शमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर।
11.	भरेच	280		191	मौजूदा शमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई

				के किनारे से 100 मीटर।
12.	शुराला	371	311	सम्पूर्ण गाँव
		कुल	495	2327
नोट :- कुफरी से चायल मार्ग के दोनों किनारों पर शिमला और सोलन जिले की प्रशासनिक सीमा तक नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना विभाग का नियंत्रण होगा। मार्ग के दोनों ओर जो राजस्व गांव आते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। जंगले अबल राजिंदर राख (I), जंगले अबल राजिंदर राख (II), जटोल, कुफर, जंगले अबल मनून, जंगले फनेवत, कोटि, जंगले भलावाग, और धार कुफर।				

उपरोक्त राजस्व महालों को समावेशन के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार “कुफरी विशेष क्षेत्र” की सीमाओं को पुनः परिनिश्चित करते हैं :—

विनिर्देश

उत्तर.—राजस्व ग्राम नेरी की सीमा से प्रारंभ करते हुए, 281 (भागतः), दुर्गापुर 134 (भागतः), नालदेहरा 279 (भागतः), जंगल नालदेहरा 278, जंगल मशोबरा 247 (भागतः), कोलू का जुब्बर 309 (भागतः), मशोबरा 246 (भागतः), रिट्रीट 243 (भागतः), चरबरा 241, जंगल चरबरा 240, कुफरी कोटी 229 और गांव कुफरी जुन्ना 228.

पूर्व.—राजस्व ग्राम कुफरी जुन्ना 228, कुफरी कोटी 229 की सीमा से प्रारंभ होकर 100 मी. राजस्व विला वाले मौजूदा कुफरी-चैल मार्ग के दोनों ओर में से किसी एक ओर 100 मीटर से आरम्भ होकर जिसमें जंगले अबल राजिंदर राख (I) 395, जंगले अबल राजिंदर राख (II) 395, जटोल 404, कुफर 368, जंगले अबल मनून 413, जंगले फनेवत 190, कोटि 189, जंगले भलावाग 160 और धार कुफर 159 सम्मिलित है।

दक्षिण.—राजस्व ग्राम कुफरी कोटी 229 की सीमाओं से आरम्भ होकर जंगल छराबरा 240, जलग्रहण क्षेत्र 242, बदाह 350 (भागतः), चकड़याल 352 (भागतः), मेवाग 353, शुराला 371, जंगल गनोटी 380 (भागतः), शकराल 381 (भागतः) और मेहली 113 (भागतः) तक।

पश्चिम.—राजस्व ग्राम मेहली 113 (भागतः), शकराल 381 (भागतः), जंगल गनोटी 380 (भागतः), गनोटी 377 (भागतः), मल्याणा 378, (भागतः), शानन 375 (भागतः), सांगटी 374, चम्याणा 372 (भागतः), चकड़याल 352 (भागतः), लंबीधार 349, रिट्रीट 243 (भागतः), मशोबरा 246 (भागतः), कोलू का जुब्बर 309 (भागतः), चनावत 308 (भागतः), धागोग 305 (भागतः), जंगल धागोग 304, जोटलू 303 (भागतः), भाटला 302 (भागतः), कैलीधर 297 (भागतः), शाहिसर 291 (भागतः), शैनल 290 (भागतः), कोग 289 (भागतः), भरेच 280 (भागतः) और नेति, 281 (भागतः) की सीमा से आरम्भ।

ऐसे समस्त राजस्व गांव जिन पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबंध प्रवृत्त हैं, वे अब निम्न प्रकार से होंगे :—

क्र0 सं0	राजस्व गांव	हृदबस्त संख्या	टिप्पणियां
1.	लंबी धार	349	(संपूर्ण)
2.	जंगल मशोबरा	247	(भागतः जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
3.	कोलू का जुब्बर	309	(भागतः जैसा कि खसरा नंबर 2, 21, 85, 79, 80, 95, 96, 106

			द्वारा द्विभाजित किया गया है, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
4.	झालटी	307	(संपूर्ण)
5.	चनावत	308	(भागत: खसरा नंबर 64, 65, 66, 67, 68 द्वारा द्विभाजित, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
6.	बोंटलू	306	(संपूर्ण)
7.	धागोग	305	(भागत: खसरा संख्या 1, 3, 4, 22, 151, 158, 162, 215, 219, 220, 221, 119, 117, 116, 112 द्वारा द्विभाजित जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
8.	जंगल धागोग	304	(संपूर्ण)
9.	जोटलू	303	(भागत: खसरा संख्या 1, 8, 128, 129, 137, 138, 155, 156, 186, 187, 188, 195, 196 द्वारा द्विभाजित जिसमें शिमला—सुन्नी रोड भी शामिल है)।
10.	भाटला	302	(भागत: जैसा कि खसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 80, 81, 72, 73, 66, 152 द्वारा द्विभाजित किया गया है, जिसमें ग्राम संधोरा शामिल है)।
11.	संधोरा	296	(संपूर्ण)
12.	कैलीधर	297	(संपूर्ण)
13.	जंगल बरोग शील	298	(संपूर्ण)
14.	बलदयान	283	(संपूर्ण)
15.	शाहिसर	291	(भागत: खसरा संख्या 582, 486, 329, 333, 334, 345, 346, 347, 348, 354, 355, 366, 367, 364 द्वारा द्विभाजित, जिसमें शिमला—सुन्नी रोड शामिल है)।
16.	मशोबरा	246	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
17.	रिट्रीट	243	(संपूर्ण)
18.	चराबरा	241	(संपूर्ण)
19.	जंगल चराबरा	240	(संपूर्ण)
20.	कुफरी जंगा	228	(संपूर्ण)
21.	कुफरी कोटी	229	(संपूर्ण)
22.	जलग्रहण क्षेत्र	242	(संपूर्ण)
23.	बदाह	350	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
24.	चकरयाल	352	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
25.	चम्याणा	372	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
26.	शानन	375	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
27.	मल्याणा	378	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
28.	मेवाग	353	(संपूर्ण)
29.	गनोटी	377	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
30.	जंगल गनोटी	380	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
31.	कमाली	379	(संपूर्ण)
32.	शकराल	381	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
33.	मेहली	113	(भागत: जैसा कि एम.सी. शिमला में द्विभाजित है)
34.	कसुफर	292	(सम्पूर्ण गांव)
35.	शैनल	290	(खसरा नंबर 809, 810, 803, 802, 798, 796, 795, 794, 783, 781, 779, 181, 180, 178 (शामिल) द्वारा शिमला—मंडी रोड और जंगल नालदेहरा की ओर द्विभाजित क्षेत्र सहित)।
36.	नालदेहरा	279	(सम्पूर्ण गांव)
37.	जंगले बलदयान	278	(खसरा संख्या 13 (न्यूनतम) द्वारा द्विभाजित क्षेत्र सहित,

			शिमला—मंडी रोड की ओर, खसरा संख्या 37, 38 (शामिल) द्वारा द्विभाजित शैसर की ओर, खसरा संख्या 48, 49 द्वारा द्विभाजित (शामिल) कसुफर की ओर और खसरा नंबर 59, 55, 56, 57, 72, 73, 74 बलदयान की ओर द्विभाजित)।
38.	नेरि	281	(शिमला मंडी रोड की ओर खसरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 और 12 (शामिल) द्वारा द्विभाजित क्षेत्र सहित)।
39.	दुर्गापुर	134	(शिमला—मंडी की ओर खसरा संख्या 108, 107, 106, 114, 104, 103, 101, 90, 89, 86, 85, 84, 65, 30, 29, 27, 26, 20 से सीमाबद्ध क्षेत्र सम्मिलित) दुर्गापुर की ओर खसरा संख्या 24, 23, 136, 142, 216 / 145, 217 / 145, 146 (सम्मिलित) द्वारा द्विभाजित सड़क, खसरा संख्या 154, 155, 221 / 157, 164, 174, 175, 176 द्वारा द्विभाजित, 177 (शामिल) शिमला मंडी मार्ग की ओर और खसरा नंबर 209, 211, 213, 214, 215, 196, 136 (सम्मिलित) शिमला मंडी मार्ग द्वारा सीमाबद्ध है।
40.	जंगले अवल राजिंदर राख (I)	395	भागतः (मौजूदा) कुफरी—चायल मार्ग के दोनों में से एक ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर
41.	जंगले अवल राजिंदर राख (II)	395	—यथोपरि—
42.	जटोल	404	—यथोपरि—
43.	कुफर	368	—यथोपरि—
44.	जंगले अवल मनून	413	—यथोपरि—
45.	जंगले फनेवत	190	—यथोपरि—
46.	कोटि	189	—यथोपरि—
47.	जंगले भलावाग	160	—यथोपरि—
48.	धार कुफर	159	—यथोपरि—
49.	कोग	289	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर
50.	भरेच	280	मौजूदा शिमला—सुन्नी मार्ग के घाटी की ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर
51	शुराला	371	(सम्पूर्ण गांव)

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/5/2023, Dated 02-03-2024 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd March, 2024

No. TCP-F05/5/2023.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of

1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to include the following revenue Mohals in the "Kufri Special Area" notified *vide* Government Notification No. TCP-F(5)-4/2000, dated 30-11-2000 namely:—

SPECIFICATION

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population as per census 2011	Remarks
1.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (I)	395		23	100 metres from the edge of control width on either sides of the Kufri-Chail road.
2.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (II)	395		-	-do-
3.	Jatol	404		345	-do-
4.	Kufar	368		59	-do-
5.	Jangle Awwal Manoon	413		155	-do-
6.	Jangle Fanewat	190		-	-do-
7.	Koti	189		520	-do-
8.	Jangle Bhalawag	160		140	-do-
9.	Dhar Kufar	159		48	-do-
10.	Kog	289		235	100 metres from the edge of control width on the valley side of the existing Shimla-Sunni road.
11.	Bharech	280		191	100 metres from the edge of control width on the valley side of the existing Shimla-Sunni road.
12.	Shurala	371		311	Whole Village
		Total	495	2327	
	Note. —There will be 100 meters control of HPTCP from the edge of control width on both sides of Kufri to Chail road up to administrative boundary of Shimla and Solan District. The Revenue Villages that come on both sides of the road their names are as follows: Jangle Awwal Rajinder Rakh (I), Jangle Awwal Rajinder Rakh (II), Jatol, Kufar, Jangle Awwal Manoon, Jangle Fanewat, Koti, Jangle Bhalawag and Dhar Kufar.				

Consequent upon inclusion of above revenue Mohals, the Governor of Himachal Pradesh is further pleased to re-define the limits of Kufri Special Area as per specifications given below:—

SPECIFICATIONS

North.—Starting from the boundaries of Revenue Village Neri, 281 (Partly), Durgapur 134 (Partly), Naldehra 279 (Partly), Jungle Naldehra 278, Jungle Mashobra 247 (Partly), Kolu Ka Jubbar 309 (Partly), Mashobra 246 (Partly), Retreat 243

(Partly), Charabra 241, Jungle Charabra 240, Kufri Koti 229 and village Kufri Junga 228.

East.— Starting from the boundaries of Revenue village Kufri Junga 228, Kufri Koti 229 and 100 mtrs. control on either side of existing Kufri-Chail road having revenue vilalges Jangle Awwal Rajinder Rakh (I) 395, Jangle Awwal Rajinder Rakh (II) 395, Jatol 404, Kufar 368, Jangle Awwal Manoon 413, Jangle Fanewat 190, Koti 189, Jangle Bhalawag 160 and Dhar Kufar 159.

South:—Starting from the boundaries of Revenue village Kufri Koti 229, Jungle Charabra 240, Catchment Area 242, Badah 350 (Partly), Chakadyal 352 (Partly), Mewag 353, Shurala 371, Jungle Ganoti 380 (Partly), Shakral 381 (Partly) and Mehli 113 (Partly).

West.— Starting from the boundaries of Revenue village Mehli 113 (Partly), Shakral 381 (Partly), Jungle Ganoti 380 (Partly), Ganoti 377 (Partly), Malyana 378 (Partly), Shanan 375 (Partly), Sangti 374, Chamyana 372 (Partly), Chakaryal 352 (Partly), Lambidhar 349, Retreat 243 (Partly), Mashobra 246 (Partly), Kolu Ka Jubbar 309 (Partly), Chanawat 308 (Partly), Dhagog 305 (Partly), Jungle Dhagog 304, Jotlu 303 (Partly), Bhatla 302 (Partly), Kailidhar 297 (Partly), Shahiser 291 (Partly), Shainal 290 (Partly), Kog 289 (Partly), Bharech 280 (Partly) and Neri, 281 (Partly).

The total Revenue Villages over which provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) are enforced shall, now be as follows:—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Remarks
1.	Lambi Dhar	349	(Whole)
2.	Jungle Mashobra	247	(Partly, as already bifurcated in M.C. Shimla)
3.	Kolu Ka Jubbar	309	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 2, 21, 85, 79, 80, 95, 96, 106 inclusive towards Shimla-Suni Road).
4.	Jhalty	307	(Whole)
5.	Chanavat	308	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 64, 65, 66, 67, 68 inclusive towards Shimla-Suni Road).
6.	Bontlu	306	(Whole)
7.	Dhagog	305	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 3, 4, 22, 151, 158, 162, 215, 219, 220, 221, 119, 117, 116, 112 inclusive towards Shimla-Suni Road).
8.	Jungle Dhagog	304	(Whole)
9.	Jotlu	303	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 8, 128, 129, 137, 138, 155, 156, 186, 187, 188, 195, 196 inclusive towards Shimla-Suni Road).
10.	Bhatla	302	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 79, 80, 81, 72, 73, 66, 152 inclusive towards village Sandhara).
11.	Sandhara	296	(Whole)
12.	Kailidhar	297	(Whole)
13.	Jungle Barog Sheel	298	(Whole)
14.	Balldehan	283	(Whole)

15.	Shaiser	291	(Partly, as bifurcated by Khasra No. 582, 486, 329, 333, 334, 345, 346, 347, 348, 354, 355, 366, 367, 364 inclusive towards Shimla-Sunni Road).
16.	Mashobra	246	Partly, as bifurcated in M.C.Shimla).
17.	Retreat	243	(Whole)
18.	Chharabra	241	(Whole)
19.	Jungle Chharabra	240	(Whole)
20.	Kufri Junga	228	(Whole)
21.	Kufri Koti	229	(Whole)
22.	Catchment Area	242	(Whole)
23.	Badah	350	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
24.	Chhakryal	352	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
25.	Chamvana	372	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
26.	Shanan	375	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
27.	Malyana	378	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
28.	Mewag	353	(Whole)
29.	Ganoti	377	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
30.	Jungle Ganoti	380	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
31.	Kamali	379	(Whole)
32.	Shakral	381	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
33.	Mehli	113	(Partly, as bifurcated in M.C. Shimla)
34.	Kasufar	292	(Whole village)
35.	Shainal	290	(Including area bifurcated by Khasra No. 809, 810, 803, 802, 798, 796, 795, 794, 783, 781, 779, 181, 180, 178 (included) towards Shimla-Mandi Road and Jangle Naldehra).
36.	Naldehra	279	(Whole village)
37.	Jangle Baldayan	278	(Including area bifurcated by Khasra No. 13(Min)(included), towards Shimla-Mandi Road, bifurcated by Khasra No. 37, 38 (included) towards Shaiser, bifurcated by Khasra No. 48, 49 (included) towards Kasufar and bifurcated by Khasra No. 59, 55, 56, 57, 72, 73, 74 towards Baldayan).
38.	Neri	281	(Including area bifurcated by Khasra No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 and 12 (included) towards Shimla Mandi Road).
39.	Durgapur	134	(Including area bounded by Khasra No. 108, 107, 106, 114, 104, 103, 101, 90, 89, 86, 85, 84, 65, 30, 29, 27, 26, 20 (included) towards Shimla-Mandi Road bifurcated by Khasra No. 24, 23, 136, 142, 216/145, 217/145, 146 (included) towards Durgapur, bifurcated by Khasra No. 154, 155, 221/157, 164, 174, 175, 176, 177 (included) towards Shimla Mandi Road and bounded by Khasra No. 209, 211, 213, 214, 215, 196, 136(included) Shimla Mandi Road).
40.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (I)	395	(Partly) 100 metres from the edge of control width on the either side of the existing Kufri-Chail road.
41.	Jangle Awwal Rajinder Rakh (II)	395	-do-
42.	Jatol	404	-do-
43.	Kufar	368	-do-

44.	Jangle Awwal Manoon	413	-do-
45.	Jangle Fanewat	190	-do-
46.	Koti	189	-do-
47.	Jangle Bhalawag	160	-do-
48.	Dhar Kufar	159	-do-
49.	Kog	289	100 metres from the edge of control width on valley sides of the existing Shimla-Sunni road.
50.	Bharech	280	100 metres from the edge of control width on valley sides of the existing Shimla-Sunni road.
51.	Shurala	371	Whole Village

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Anil Kumar aged 24 years s/o Sh. Chandu Ram, r/o Village Tippri, P.O. Bhatawan, Tehsil Khundian, District Kangra (H.P.).
2. Arushi Thakur aged 23 years d/o Murli Ram, r/o Village Tikkar, P.O. Bhaleth, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.)
.. *Applicants.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Anil Kumar aged 24 years s/o Sh. Chandu Ram, r/o Village Tippri, P.O. Bhatawan, Tehsil Khundian, District Kangra (H.P.) and Arushi Thakur aged 23 years d/o Murli Ram, r/o Village Tikkar, P.O. Bhaleth, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-04-2024. The objections received after 25-04-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

1. Vishal Sharma aged 28 years s/o Sh. Sushil Kumar, r/o Village Khanpal, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
2. Pinky aged 18 years d/o Manoj Kumar, r/o Village & P.O. Tira, Tehsil Kharas, District Mohali (Punjab) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Subject.— Notice of the Intended Marriage.

Vishal Sharma aged 28 years s/o Sh. Sushil Kumar, r/o Village Khanpal, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) and Pinky aged 18 years d/o Manoj Kumar, r/o Village & P.O. Tira, Tehsil Kharas, District Mohali (Punjab) have filed an application in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 30-04-2024. The objections received after 30-04-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Vinod Kumar aged 60 years s/o Late Sh. Jyoti Ram, r/o Ward No. 8 Bharampuri, P.O. Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Meera Devi aged 55 years d/o Late Sh. Acchar Singh, r/o Village & P.O. Khiah, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Vinod Kumar aged 60 years s/o Late Sh. Jyoti Ram, r/o Ward No. 8 Bharampuri, P.O. Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) & Meera Devi aged 55 years d/o Late Sh. Acchar Singh, r/o Village & P.O. Khiah, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 23-01-1992 at Village & P.O. Khiah, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-04-2024. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 20-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Rajesh Chandel age 50 years s/o Hoshiyar Singh, r/o Village Palbhu, P.O. Kakkar, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).
2. Alka Chandel age 42 years d/o Ashok Kumar, r/o Samaleshwari Colony Modipada Sambalpur, Sadar Mudipara, Sambalpur, Odisha Pin Code-768 002 . . . Applicants.

Versus

General Public

. . . Respondents.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Rajesh Chandel age 50 years s/o Hoshiyar Singh, r/o Village Palbhu, P.O. Kakkar, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) & Alka Chandel age 42 years d/o. Ashok Kumar, r/o Samaleshwari Colony Modipada Sambalpur, Sadar Mudipara, Sambalpur, Odisha Pin Code 768 002 have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 21-07-2005 at Village Palbhu, P.O. Kakkar, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Rohit Sharma, H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Vineet Kumar Sharma age 49 years s/o Kewal Krishan Sharma, r/o House No. 72, P.O. Dhariwal, Sub-District Gurdaspur, District Gurdaspur, Punjab.
2. Vipasha Sharma age 44 years d/o Vijay Kumar Sharma, r/o Ward No. 9, Chobata Mohalla Sujanpur, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) . . . Applicants.

Versus

General Public

. . . Respondents.

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Vineet Kumar Sharma age 49 years s/o Kewal Krishan Sharma, r/o House No. 72, P.O. Dhariwal, Sub-District Gurdaspur, District Gurdaspur, Punjab & Vipasha Sharma age 44 years d/o Vijay Kumar Sharma, r/o Ward No. 9, Chobata Mohalla Sujanpur, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18-02-2024 at Ward No. 9, Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-04-2024. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-03-2024 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, Distt. Hamirpur (H.P.).*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

Sushma Devi d/o Shri Jameet Singh, r/o Village Mandal, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sushma Devi d/o Shri Jameet Singh, r/o Village Mandal, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 04-04-1972 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sushma Devi d/o Shri Jameet Singh के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 04-04-1972 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

Sumna Devi d/o Late Mast Ram at present w/o Sh. Anil Kumar, r/o Village & P.O. Birta, Tehsil & District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sumna Devi d/o Late Mast Ram at present w/o Sh. Anil Kumar, r/o Village & P.O. Birta, Tehsil & District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी जन्म तिथि 20-02-1979 है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sumna Devi d/o Late Mast Ram के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 20-02-1979 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

Nikka Ram s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Salig, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Nikka Ram s/o Sh. Bali Ram, r/o Village Salig, P.O. Tang Narwana, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 01-07-1964 को हुआ है परन्तु ऐसी सीधी धर्मशाला / ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Nikka Ram s/o Sh. Bali Ram के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 01-07-1964 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

Sakindar Devi d/o Late Mast Ram at present w/o Sh. Uttam Chand, Village & P.O. Sihund, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sakindar Devi d/o Late Mast Ram at present w/o Sh. Uttam Chand, Village & P.O. Sihund, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरा जन्म दिनांक 20-12-1969 को हुआ है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Sakindar Devi d/o Late Mast Ram के जन्म को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि 20-12-1969 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

Sanjay s/o Bishan Dass, r/o Village Lower Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sanjay s/o Bishan Dass, r/o Village Lower Barol, P.O. Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मेरी दादी की मृत्यु दिनांक 08-11-2014 को हुई है परन्तु एम० सी० धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Jamna Devi w/o Sh. Heeru की मृत्यु को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-04-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि 08-11-2014 पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 न0 : 01/2022

तारीख दायरा : 28-05-2022

तारीख पेशी : 17-05-2024

सुरक्षा देवी पुत्री छुनण सिंह, वासी बाड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

सुरक्षा देवी पुत्री छुनण सिंह, वासी बाड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 15-10-1950 को महाल बाड़ी, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था। लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त सुरक्षा देवी के जन्म का पंजीकरण करने वारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 17-05-2024 समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बाड़ी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-04-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जसवां, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती ईन्द्रा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव कोटला, डा० सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती ईन्द्रा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव कोटला, डा० सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी बेटी रेनू का जन्म मिति 20-05-1992 को गांव कोटला, डा० सुरला, तहसील नाहन में हुआ है, परन्तु जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का

उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो रेनु पुत्री श्रीमती इन्दरा देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह, निवासी गांव कोटला, डाठ सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 20-05-1992 ग्राम पंचायत सुरला में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री चमेल सिंह पत्नी श्री मान सिंह, निवासी गांव आरवाली, डाठ रामा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री चमेल सिंह पत्नी श्री मान सिंह, निवासी गांव आरवाली, डाठ रामा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि वह श्री चमेल सिंह एवं श्रीमती कला देवी, निवासी गांव गलाहां, डाठ जमटा, तहसील नाहन की पुत्री है और उसका जन्म उसके गांव गलाहां में हुआ है उसकी जन्म तिथि 23-08-1970 है, जोकि ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती श्यामा देवी पुत्री श्री चमेल सिंह पत्नी श्री मान सिंह, निवासी गांव आरवाली, डाठ रामा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 23-08-1970 ग्राम पंचायत नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्रीमती नारदा देवी पुत्री श्री बसन्तु, निवासी गांव काटल बेहरिया, डाठ जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती नारदा देवी पुत्री श्री बसन्तु निवासी गांव काटल बेहरिया, डाठो जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसका जन्म मिति 01-07-1947 को गांव काटल बेहरिया, डाठो जमटा, तहसील नाहन में श्री बसन्तु एवं श्रीमती सुनपा के घर पर हुआ। परन्तु उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणी (ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा) में दर्ज न हुई जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो श्रीमती नारदा देवी पुत्री श्री बसन्तु निवासी गांव काटल बेहरिया, डाठो जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01-07-1947 ग्राम पंचायत नेहली धीड़ा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी गांव एवं डाठो पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी गांव एवं डाठो पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके बेटे कौशल दीप का जन्म मिति 09-08-2011 को गांव एवं डाठो पालियों, तहसील नाहन में हुआ है। परन्तु उसके पुत्र कौशल दीप की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पालियों में दर्ज न हुई है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो कौशल दीप पुत्र श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी गांव एवं डाठो पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 09-08-2011 ग्राम पंचायत पालियों में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव जंगला भूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम**आम जनता**

प्रार्थी श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, निवासी गांव जंगला भूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता (मंगल सिंह पुत्र श्री छतरु) की मृत्यु तिथि 10-02-1983 है जोकि ग्राम पंचायत बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थी के पिता श्री मंगल सिंह पुत्र श्री छतरु की मृत्यु तिथि 10-02-1983 को ग्राम पंचायत बर्मा पापडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री राजीव बंसल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल बंसल, निवासी वार्ड नं0 3, नजदीक ए0वी0न0 स्कूल, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम**आम जनता**

प्रार्थी श्री राजीव बंसल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल बंसल, निवासी वार्ड नं0 3, नजदीक ए0वी0न0 स्कूल, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पिता स्व0 श्री मोहनलाल बंसल पुत्र श्री रामचन्द्र बंसल की मृत्यु तिथि 20-06-2006 है जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थी श्री राजीव बंसल पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल बंसल, निवासी वार्ड नं0 3, नजदीक ए0वी0न0 स्कूल, मोहल्ला अमरपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के पिता स्व0 श्री

मोहनलाल बंसल पुत्र श्री रामचन्द्र बंसल की मृत्यु तिथि 20-06-2006 नगरपालिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री कल्याण सिंह/श्रीमती चम्पा देवी, निवासी गांव वरमान, डा० जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) (पत्नी श्री पदम सिंह, निवासी गांव सराहां कांगर, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०))।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री कल्याण सिंह/श्रीमती चम्पा देवी, निवासी गांव वरमान, डा० जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) (पत्नी श्री पदम सिंह, निवासी गांव सराहां कांगर, डा० बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसका जन्म मिति 23-05-1974 को गांव वरमान, डा० जमटा, तहसील नाहन में श्री कल्याण सिंह एवं श्रीमती चम्पा देवी के घर पर हुआ परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज न हुई है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थिया श्रीमती सत्या देवी पुत्री श्री कल्याण सिंह/श्रीमती चम्पा देवी, निवासी गांव वरमान, डा० जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 23-05-1974 ग्राम पंचायत नावणी में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्रीमती सुमन देवी पुत्री श्री दाताराम पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गांव सम्भालका, डा० मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती सुमन देवी पुत्री श्री दाताराम पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गांव सम्भालका, डा० मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि वह श्री दाताराम एवं श्रीमती लाजवन्ती, निवासी गांव रामा, तहसील नाहन की पुत्री है और उसके जन्म उसके गांव रामा में हुआ है। उसकी जन्म तिथि 19-05-1980 है जोकि ग्राम पंचायत रामाधौण में दर्ज न हुई है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती सुमन देवी पुत्री श्री दाताराम पत्नी श्री बाबू राम, निवासी गांव सम्भालका, डा० मात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 19-05-1980 ग्राम पंचायत रामाधौण में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री तौकिद पुत्र स्व० श्री मोहम्मद रमजान, निवासी मकान नं० 222/01, कुन्दन का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री तौकिद पुत्र स्व० श्री मोहम्मद रमजान, निवासी मकान नं० 222/01, कुन्दन का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-04-1951 है जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज न है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार/नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता है तो प्रार्थी श्री तौकिद पुत्र स्व० श्री मोहम्मद रमजान, निवासी मकान नं० 222/01, कुन्दन का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 15-04-1951 नगरपालिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**Before Saleem Azam (H.P.A.S.), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmaur, Himachal Pradesh**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954.

Whereas, Shri Ashwani Kumar s/o Shri Balak Ram, r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Sahnaj d/o Shri Atik, r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. have filed an application for the registration of their marriage, u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954, which was solemnized on 07-05-2022 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Ashwani Kumar s/o Shri Balak Ram, r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Sahnaj d/o Shri Atik, r/o V.P.O. Moginand, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. they should file their written objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heard and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 1st day of April, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Nahan, District Sirmaur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

केस नं० :

दायर तिथि : 28—03—2024

श्रीमती सुमन कौर पुत्री देश राज, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सुमन कौर पुत्री देश राज, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू—एन/एस०टी०/बी० एण्ड डी०/डिले केसिस/2023—13283, दिनांक 21—03—2024 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, प्रपत्र 10, दसवीं का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिवार नकल ग्राम पंचायत पातलियों, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 17—03—1988 है, जिसका अज्ञानतावश जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पातलियों के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती सुमन कौर पुत्री देश राज, निवासी घुतनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)

केस नं0 :

दायर तिथि : 28-03-2024

गुरदीप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, निवासी पट्टी नथा सिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी गुरदीप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, निवासी पट्टी नथा सिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू—एन/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिले केसिस/2023-13282, दिनांक 21-03-2024 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना व्यान हल्फी, दो गवाहन व्यान हल्फी, प्रपत्र 10, दसवीं का प्रमाण पत्र की छायाप्रति, परिवार नकल ग्राम पंचायत भुंगरन, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 25-10-1978 है, जिसका अज्ञानतावश इन्द्राज ग्राम पंचायत भुंगरनी के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में गुरदीप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह, निवासी पट्टी नथा सिंह, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिं0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कलसेर बलोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कलसेर बलोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि वह श्री दलीप सिंह एवं श्रीमती कमला देवी, निवासी गांव बरमन, डा० जमटा, तहसील नाहन की पुत्री है और उसका जन्म उसके गांव बरमन में हुआ है, उसकी जन्म तिथि 24–08–1972 है, जो ग्राम पंचायत नौणी जमटा में दर्ज न हुई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्रीमती मीना देवी पुत्री श्री दलीप सिंह पत्नी श्री भगवान सिंह, निवासी गांव कलसेर बलोग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 24–08–1972 ग्राम पंचायत नौणी जमटा में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25–03–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री मन्नवर अली पुत्र श्री अब्दूल रहमान, निवासी मकान नं० 346 / 02, मोहल्ला हरिपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री मन्नवर अली पुत्र श्री अब्दूल रहमान, निवासी मकान नं० 346 / 02, मोहल्ला हरिपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04–04–1962 है, जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज न है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री मन्नवर अली पुत्र श्री अब्दूल रहमान, निवासी मकान नं० 346 / 02, मोहल्ला हरिपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 04–04–1962 नगरपालिका नाहन में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 25–03–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री संजय गिल पुत्र श्री किशन लाल गिल, निवासी मकान नं0 3672 / 12, मोहल्ला चिड़ावाली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री संजय गिल पुत्र श्री किशन लाल गिल, निवासी मकान नं0 3672 / 12, मोहल्ला चिड़ावाली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसके पुत्र श्री अभिषेक गिल की जन्म तिथि 10–11–2000 है, जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज ना है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25–04–2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो श्री संजय गिल पुत्र श्री किशन गिल, निवासी मकान नं0 3672 / 12, मोहल्ला चिड़ावाली, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के पुत्र श्री अभिषेक गिल की जन्म तिथि 10–11–2000 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 15–03–2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री सुमेर चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह एवं श्रीमती चम्पा देवी, निवासी रीगरवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री सुमेर चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह एवं श्रीमती चम्पा देवी, निवासी रीगरवाला, डा0 एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04–03–1966 है, जोकि

ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज न है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री सुमेर चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह एवं श्रीमती चम्पा देवी, निवासी रीगरवाला, डा० एवं ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 04-03-1966 ग्राम पंचायत कौलावालाभूड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 15-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री रामेश्वर पुत्र श्री साधूराम, निवासी मीरपुर कोटला, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री रामेश्वर पुत्र श्री साधूराम एवं श्रीमती बचनी देवी, निवासी मीरपुर कोटला, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-07-1959 है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज न है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री रामेश्वर पुत्र श्री साधूराम, निवासी मीरपुर कोटला, डा० एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 01-07-1959 ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 15-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

श्री मोहम्मद शाहिद पुत्र श्री गुलजार मोहम्मद एवं श्रीमती फातीमा, निवासी मकान नं० 12/11 कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थी श्री मोहम्मद शाहिद पुत्र श्री गुलजार मोहम्मद एवं श्रीमती फातीमा, निवासी मकान नं० 12/11 कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उसकी जन्म तिथि 14-11-1968 है, जोकि नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज न है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 25-04-2024 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो प्रार्थी श्री मोहम्मद शाहिद पुत्र श्री गुलजार मोहम्मद एवं श्रीमती फातीमा, निवासी मकान नं० 12/11 कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) की जन्म तिथि 14-11-1968 नगरपालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 15-03-2024 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि०प्र०)।

**ब अदालत श्री मन मोहन जिष्टू, कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील शिलाई,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)**

ब मुकद्दमा : श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी ग्राम गताधारा, डाकघर सांगना, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

बनाम

आम जनता

विषय.—दरख्बास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री बाबू राम, निवासी ग्राम गताधारा, डाकघर सांगना, तहसील संगड़ाह, जिला सिरमौर (हि० प्र०) ने इस अदालत में दरख्बास्त गुजारी है जिसमें प्रार्थिया अपनी बेटी पलक पुत्री रामपाल व श्यामा देवी का नाम व जन्म तिथि 04-03-2007 को ग्राम पंचायत कोटी उत्तरोत्तर के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। जिसका रिकॉर्ड पंचायत में दर्ज नहीं किया है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फियाब्यान, प्रपत्र 10, आधार कार्ड तथा जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संस्तुति प्रस्तुत की है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया की बेटी पलक का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटी उत्तरोत्तर, विकास खण्ड शिलाई के कार्यालय के अभिलेख में दर्ज करने बारे अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में दिनांक 27-04-2024 सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की बेटी पलक पुत्री रामपाल का नाम व जन्म तिथि 04-03-2007 को ग्राम पंचायत कोटी उत्तरोत्तर, विकास खण्ड शिलाई के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 27-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(मन मोहन जिष्टू),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

केस नं० : 4 / 2024

दायर तिथि : 20-03-2024

श्री हरी राम पुत्र श्री भूकिया, निवासी ग्राम लवागो, डा० कोड़गा, तहसील कमरऊ, जिला
सिरमौर (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री हरी राम पुत्र श्री भूकिया, निवासी ग्राम लवागो, डा० कोड़गा, तहसील कमरऊ, जिला
सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन
के पत्र एच०एफ०डब्ल्य०—एन०/एसटी/बी० एण्ड डी०/डिले केसिस / 2023-12378, दिनांक 06-03-2024
के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थी श्री हरी राम पुत्र श्री भूकिया, निवासी ग्राम लवागो, डा० कोड़गा, तहसील कमरऊ
से मय अपना व दो गवाहों का ब्यान हल्की, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत सखोली, स्कूल द्वारा जारी
प्रमाण—पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत सखोली द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत सखोली एवं
आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके बच्चों का नाम
शान्ता व निकिता देवी एवं जन्म तिथियां क्रमशः 20-01-2014 एवं 04-02-2015 हैं, जिसका अज्ञानतावश
प्रार्थी अपने बच्चों की जन्मतिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सखोली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका
है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। शान्ता देवी व निकिता देवी की माता का नाम श्रीमती सत्या देवी
है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई
उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर
अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है
निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र श्री हरी राम पुत्र
श्री भूकिया, निवासी ग्राम लवागो, डा० कोड़गा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर
नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

केस नं० : 5 / 2024

दायर तिथि : 20-03-2024

हिमानी पुत्री गंगीया, निवासी ग्राम खजियार, डा० व तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हिमानी पुत्री गंगीया, निवासी ग्राम खजियार, डा० व तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच०एफ०डब्ल्यू०-एन०/एसटी/बी० एप्ड डी०/डिले कॉसिस/2023-12379, दिनांक 06-03-2024 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थिया हिमानी पुत्री गंगीया, निवासी ग्राम खजियार, डा० व तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) से मय अपना व दो गवाहों का व्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत कमरऊ, 10वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, प्रधान ग्राम पंचायत कमरऊ द्वारा जारी प्रमाण—पत्र एवं परिवार नकल ग्राम पंचायत कमरऊ सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम हिमानी एवं जन्म तिथि 31-05-2005 है, अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। हिमानी की माता का नाम श्रीमती गीता देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-04-2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र हिमानी पुत्री गंगीया, निवासी ग्राम खजियार, डा० व तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27-03-2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि० प्र०)

केस नं० : 3 / 2024

दायर तिथि : 15-03-2024

श्री माम चन्द्र पुत्र उदिया, निवासी ग्राम कुन्नैर धमोण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि०प्र०)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री माम चन्द पुत्र उदिया, निवासी ग्राम कुन्नैर धमोण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू०—एन०/एसटी/बी० एण्ड डी०/डिले केसिस/2023–2377, दिनांक 06–03–2024 के द्वारा आवेदन पत्र प्रार्थी श्री माम चन्द पुत्र उदिया, निवासी ग्राम कुन्नैर धमोण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) से मय अपना व दो गवाहों का व्यान हल्फी, प्रपत्र 10 ग्राम पंचायत पौक्का, विद्यालय त्याग प्रमाण—पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत पौक्का एवं आधार कार्ड सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसका अपना नाम माम चन्द एवं जन्म तिथि 09–01–1976 है, अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पौक्का के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। माम चन्द की माता का नाम श्रीमती जैनो देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27–04–2024 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है निर्धारित अवधि या इसके पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र श्री माम चन्द पुत्र उदिया, निवासी ग्राम कुन्नैर धमोण, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27–03–2024 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. :1 /2024

Date of Institution : 20-03-2024

Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Surjeet Singh, r/o Vill. Mangta Plassi, P.O. Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Laxmi Devi w/o Sh. Surjeet Singh, r/o Vill. Mangta Plassi, P.O. Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief Medical Officer Solan, affidavits, Copies of certificates and proclamation charges, stating therein that her/his son namely Sujal s/o Shri Surjeet Singh was born on dated 27-07-2005 at Vill. Mangta Plassi, P.O. Plassi Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh but his birth could not be registered in the record of Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. for entering the same in the records.

Hence, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 25-04-2004, Announced.

Seal.

Sd/-,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Nalagarh, District Solan (H.P.).*

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar) Nalagarh, District Solan (H.P.)

Case No. : 2 /2024

Date of Institution : 23-03-2024

Sh. Bittu Singh s/o Sh. Som Nath, r/o Vill. Dhana, P.O. Bhatian, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh.

Versus

General Public through Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.)

Application under section 13(3) of H.P. Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Bittu Singh s/o Sh. Som Nath, r/o Vill. Dhana, P.O. Bhatian, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith letter of the Chief Medical Officer Solan, affidavits, Copies of certificates and proclamation charges, stating therein that her/his Mother namely Tejo Devi w/o Shri Som Nath was born on 30-04-2005 at Vill. Dhana, P.O. Bhatian, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh but his Death could not be entered in the record of Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. within stipulated period. He prayed for issuing necessary orders to the Gram Panchayat Dhang Nihli, Tehsil Nalagarh, District Solan, H.P. for entering the same in the records.

Hence, the application be registered in the relevant register. The proclamation be issued and published in the Gazette and also served in ordinary way for inviting objections of the general public. The applicant was directed to produce witnesses in support of his claim. Case to come up on 31-05-2024, Announced.

Seal.

Sd/-,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Nalagarh, District Solan (H.P.).*

Office of the Sub-Divisional Magistrate, Arki, District Solan (H. P.)

Case No.
10/2024

Date of Institution
01-04-2024

Date of Decision
Fixed for hearing on 30-04-2024

Smt. Meena Devi w/o Shri Suresh Chauhan, r/o Village Rouri, P.O. Manjhu, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh
Applicant.

Versus

General Public

Respondent.

Regarding delayed registration of Birth event under section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Meena Devi w/o Shri Suresh Chauhan, r/o Village Rouri, P.O. Manjhu, Tehsil Arki, District Solan, Himachal Pradesh has filed a case under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, alongwith affidavits and other documents stating therein that her son namely MOHIT CHAUHAN was born on 27-07-2006 at Village Rouri, P.O. Manjhu but his birth has not been entered in the records of Gram Panchayat Khanalag, Tehsil Arki, District Solan (H.P.) as per certificate No. 10 issued by the Registrar, Birth and Death Registration, G.P. Khanalag, Tehsil Arki.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that if any person having objection for registration of delayed birth in respect of MOHIT CHAUHAN may submit their objections in writing in this office on or before 30-04-2024 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after date of hearing.

Given under my hand and seal of this office on this 01st day of April, 2024 .

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Arki, District Solan (H. P.).*

CHANGE OF NAME

I, Shakir Ahmad (New Name) s/o Ali Ahmad, r/o Nanak Niwas, First Floor, Dyerton Estate, Old Bear Khana, Khalini, Tehsil & District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Mohammad Shakir (Previous Name) to Shakir Ahmad (New Name). All concerned please may note.

SHAKIR AHMAD
*s/o Ali Ahmad,
r/o Nanak Niwas, First Floor, Dyerton Estate,
Old Bear Khana, Khalini, Tehsil & District Shimla (H.P.).*

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विशाल मेहता पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार, हाऊस नं 202/10, वार्ड नं 4, तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर का निवासी हूँ। मेरी पुत्री लाल्या मेहता, जन्म तिथि 20-02-2018 का नाम, जन्म प्रमाण-पत्र में तो नाम लाल्या मेहता है लेकिन आधार कार्ड में आधया लिखा गया है जोकि गलत है। अतः मेरी बेटी का नाम उसके आधार कार्ड में भी लाल्या मेहता ही किया जाए जोकि सही है।

विशाल मेहता
पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार,
हाऊस नं 202/10, वार्ड नं 4, तारुवाला,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिंप्र०)।